

**मांग संख्या 65**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1-5**

विमानन विभाग में लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई, अन्य आकस्मिक व्यय, पेट्रोल तेल आदि, किराया महसूल एवं कर तथा मशीन-उपकरण मद में राशि रूपये 147.65 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,47,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 5053**

**मद क्रमांक 6**

राज्य शासन द्वारा नया विमान क्रय करने हेतु राशि रूपये 2450.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 24,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।